माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क /14 निगरानी

निग - 917 - PBR-14

अजमेर सिंह पुत्र श्री रामदास व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम चक मेहरोली परगना व जिला ग्वालियर ——**प्रार्थी**

बनाम

1 सुगन्धी पत्नी राम भरोसे
2 राजाराम पुत्र रामहेत
3 वासुदेव पुत्र रामहेत
4 ज्ञान सिंह पुत्र बालजीत
5 देवराम पुत्र धर्मे
6 कैलाशी फोत के वारिस प्रीतम, राजेन्द्र, विजय सिंह
7 रामलाल पुत्र धनीराम
8 कटोरी बाई पत्नी रामस्वरूप
9 कमल सिंह पुत्र बाबूराम
10 सुरेश पुत्र रन्धीर सिंह
11 बाबूलाल पुत्र फोदल
12 चन्दन सिह पुत्र रतीराम
13 रामसिंह पुत्र धनपत
14 भगवान सिंह पुत्र भोदेराम
15 राम औतार सिंह पुत्र फूल सिंह
16 हरकिशन पुत्र पहलू
17 चुन्नीलाल पुत्र कुअरपाल

निवासीगण ग्राम मेहरौली तहसील व जिला ग्वालियर

श्री एन.आर. शर्मा द्वारा आज दि. 14-3-14 को प्रस्तुत
14-3-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Received
R.V. Sharma
14/3/14

क्रमशः 02

18 म0प्र0 शासन ——*प्रतिप्रार्थीगण*

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 08/2006–07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.01. 2014 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर म0प्र0

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 917–पीबीआर/14 [अजमेर/सुगंधी] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 13–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा यह पाते हुए कि अनावेदकगण के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप किया गया है, और आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तु आपत्तियों के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, अनावेदकगण के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन स्थिर रखने में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में अनावेदकगण के पट्टे निरस्त कर दिये गये थे, और बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया है, क्योंकि पूर्व में अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसे आयुक्त द्वारा निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया है, और कलेक्टर द्वारा आयुक्त के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	